



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275577
CG-DL-E-19082026-275577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4393]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4393]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026

का.आ. 4573(अ).— भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), अंक संख्या 2363 में का.आ. 2455(अ), तारीख 12 मई, 2026 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पृष्ठ-1 में “निम्नलिखित तालिका की सारणी (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त तालिका की सारणी (3) में उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्राधिकार के अधीन उस अपराध के शमन के लिए विनिर्दिष्ट करती है जिसमें उक्त धारा के अधीन केवल कारावास है अथवा कारावास के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान है” शब्दों के स्थान पर “नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट संबंधित अधिकारिता के भीतर उक्त धारा के अधीन केवल कारावास से या कारावास से तथा जुर्माने से भी दंडनीय किसी अपराध से भिन्न मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन किसी भी अपराध के शमन करने के लिए विनिर्दिष्ट करती है”, पढ़ा जाए।

[फा. सं. पी-11011/08/2026-डब्ल्यूसी]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 19th August, 2026

S.O. 4573(E).— In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Issue No.2363, *vide* number S.O. 2455(E), dated 12th May, 2026, in page 3, for “to compound the offences punishable with imprisonment only, or with imprisonment and also with fine,” read “to compound any offence under the Code on Wages, 2019, other than an offence punishable with imprisonment only or with imprisonment and also with fine”.

[F. No. P-11011/08/2026-WC]

Tejaswi S. Naik, Jt. Secy.